सरकार बनाम गणेश

मु.फौ. प्रकरण संख्या 2/18

दिनाकः— 03.01.2018

इस न्यायालय के रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 384/05 दिनांक 22.02.2007 को पारित आदेश के अनुसार मुल्जिम गणेश के जमानत मुचलके जब्त सरकार किये गये थे। धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही पृथक से खोली जाने का आदेश था। किन्तु लिपिक द्वारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही आज खोली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर मु0फौ0 होवे।

सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। गैरसायलान उपस्थित। विपक्षी जामीन गैरसायलान के और से अधिवक्ता श्री पुष्पराजसिंह सिसोदिया उपस्थित। गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता धारा 446 सीआरपीसी के नोटिस का जवाब पेश किया। जवाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहा। अतः उभयपक्ष की साक्ष्य समाप्त की जाती है।

बहस उभयपक्षों की सुनी गई। वकील विपक्षीगण का तर्क है कि गैरसायल गरीब व्यक्ति है जान बुझकर अनुपस्थित नही रहे है अतः जमानत मुचलके की जब्ती राशि में उदारता बरती जावे। सहायक लोक अभियोजक ने इन तर्को का विरोध प्रकट किया। उभयपक्ष के तर्को पर हमने मनन किया। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एंव गैरसायल की उप0 को देखते हुए गैरसायल के जमानत मुचलके में से क्रमंशः 100 + 100 = 200 रूपये की राशि जब्त करना न्यायोचित प्रतित होता है। एतद्दारा आदेश है कि गैरसायल के जमानत मुचलके मे सें क्रमशः 100 + 100 = 200 रूपये की राशि जब्त की जाकर शेष राशि माफ की जाती है।

गैरसायलान की और से उनके अधिवक्ता ने जब्त राशि 100 + 100 = 200 रूपये अक्षरे दौ सौ रूपये जरिये रसीद न 59478/70 के जमा करवाई है जो ली जाकर रसीद दी गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।